

टी.आर. 24:खजाना नियम 272

आवधिक वेतन-वृद्धि का प्रमाण पत्र 132/2020

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सरकारी कर्मचारियों ने स्तम्भ 6 में दी हुई दिनांक से निर्धारित आवधिक वेतन-वृद्धि प्राप्त कर ली है। यह वेतन वृद्धि पाने से पहले वे निविद पद पर स्तम्भ 5 में दी हुई दिनांक से कम से कम एक वर्ष को अवधि की गणना करते समय अवचार के कारण हुई मुअत्तली और बिना वेतन अवकाश की अवधि तथा यदि वे उक्त पद पर स्थानापन्न रूप में अथवा अस्थायी पद पर भूत में काम कर रहे हैं तो ओसत सहित अवकाश की अवधि अन्य सभी प्रकार के अवकाश की अवधि घटा दी गई है।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिस/जिन स्थानापन्न कर्मचारियों का/के नाम दिए गए हैं उनके द्वारा प्राप्त अवकाश अवधि (या) वेतन-वृद्धि की गणना में ली गई है जिस दौरान यदि वह/वे अवकाश पर न होते तो वर्तमान पद/पदों ही स्थानापन्न रहते।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन कर्मचारियों के नाम दिए हैं उन्होंने उल्लिखित दिनांक से वेतन-वृद्धि प्राप्त कर लेंगे। इसके कारणों का उल्लेख साथ लगे व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।

क्र म सं	पदधारी का नाम	पद का वेतनमान	वर्तमान वेतन	वर्तमान वेतन जिस दिनांक से मिल रहा है	आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक	आगामी वेतन	कार्य की अनुपस्थिति जिस वेतन-वृद्धि के लिए गणना में नहीं लिया गया है।	बिना वेतन अवकाश की अवधि तथा जो स्थानापन्न रूप में कर रहे हैं उनके मामलों प्रकार के अवकाश की जिसके दौरान वह पद स्थानापन्न रहते हैं।
1	Shri Ajay Saini, Inv. Gr.II	Level - 6	Rs. 41100/- Cell - 6	01.07.2019	09.07.2020	Rs.42300/- Cell - 7	-	The officer was on Earned Leave till 08.07.2020 as s would draw leav salary upto that date.
2	Smt Kusum Lata, Inv. Gr.II	Level - 6	Rs. 39900/- Cell - 5	02.09.2019	01.07.2020	Rs.41100/- Cell - 6	-	-

वितरण - 1. रोकड़ अनुभाग/कार्यालयाध्यक्ष ।
2. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

21/8/20
(राकेश)
अनुभाग